

101

N ✓



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2300]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 1, 2013/अश्विन 9, 1935

No. 2300]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2013/ASVINA 9, 1935

राहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2013

का.आ. 2979(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 2 के खंड (घ) के प्रावधान के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संबंधित भागीदार राज्यों की सहमति के अनुपालन में और बोर्ड के परामर्श से केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यथा उल्लिखित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रों के व्यौरों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

1. हरियाणा से संबंधित अनुसूची की क्रम सं. 2 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाय :-

- i. संपूर्ण गुडगांव जिला जिसमें पटौदी, गुडगांव, सोहना, मानेसर और फारुखनगर तहसील शामिल हैं ;
- ii. संपूर्ण फरीदाबाद जिला जिसमें फरीदाबाद और बल्लभगढ़ तहसील शामिल हैं ;
- iii. संपूर्ण रोहतक जिला जिसमें महम, रोहतक और सांपला तहसील शामिल हैं ;
- iv. संपूर्ण सोनीपत जिला जिसमें गलीर, सोनीपत, गोहाना और खरखोदा तहसील शामिल हैं ;
- v. संपूर्ण पानीपत जिला जिसमें पातीपा, इसराना और समातखा तहसील शामिल हैं ;
- vi. संपूर्ण झज्जर जिला जिसमें झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी और मतेनहेल तहसील शामिल हैं ;
- vii. संपूर्ण मेवात जिला जिसमें पुनहाना, नूह, तोरु और फिरोजपुर झिरका तहसील शामिल हैं ;
- viii. संपूर्ण पलवल जिला जिसमें पलवल, हथीन और होडल तहसील शामिल हैं ;
- ix. संपूर्ण रेवाड़ी जिला जिसमें बावल, रेवाड़ी और कोसली तहसील शामिल हैं ;
- x. संपूर्ण भियानी जिला जिसमें भिवानी, धरकी दादरी, सीवान, लोहाक, भियानीखेड़ा, तोसम और बटहरा तहसील शामिल हैं ;
- xi. संपूर्ण महेन्द्रगढ़ जिला जिसमें महेन्द्रगढ़ और नरनौल तहसील शामिल हैं ।

2. राजस्थान राज्य के संबंध में उक्त अनुसूची की क्रम सं. 4 की श्रेणीगत प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाए :

- i. संपूर्ण अलवर जिला जिसमें मंहरोड, मंडावर, किसानगढ़, तिजारा, अलवर, रामगढ़, बनसूर, थानागाजी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और दशुभर तहसील शामिल हैं (सहरी विकास मंत्रालय की दिनांक 23 अगस्त, 2004 की राजपत्र अधिसूचना सं. के-11019/4/2004 डीडी VI) द्वारा अधिसूचित)।
- ii. संपूर्ण भरतपुर जिला जिसमें भरतपुर, कुम्हेर, नदवाई, डींग, जेवर, कामा, पहाड़ी, बयाना, वैर, भुसावर और खयवास शामिल हैं।

[सं. के-11019/9/2013-डीडी VI]

पी. टी. जेम्सकुट्टी, अवर सचिव (डीडी-VI)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2013

S.O.2979(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso of Clause (f) of Section 2 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985) and in pursuance of the consent of concerned participating States and in consultation with the Board, the Central Government hereby makes the following amendments relating to the description of the areas in the National Capital Region as specified in the Schedule to the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985):—

1. The existing entries at S.No.2 of the Schedule relating to the Haryana are substituted with the following:—
 - i. The whole district of Gurgaon comprising of tehsils of Pataudi, Gurgaon, Sohna, Manesar and Farukhnagar;
 - ii. The whole of district of Faridabad comprising the Tehsils of Faridabad and Ballabgarh;
 - iii. The whole of district of Rohtak comprising the Tehsils of Maham, Rohtak and Sampla;
 - iv. The whole of district of Sonapat comprising the Tehsils of Ganaur, Sonapat, Gohana and Kharkhoda;
 - v. The whole of district of Panipat comprising the Tehsils of Panipat, Israna and Samalkha;
 - vi. The whole of district of Jhajjar comprising the Tehsils of Jhajjar, Behadurgarh, Beri and Matanhail;
 - vii. The whole of district of Mewat comprising of the Tehsils of Punhans, Nuh, Taoru and Ferozepur Jhirka;
 - viii. The whole of district of Palwal comprising of the Tehsils of Palwal, Hathin and Hodal;
 - ix. The whole district of Rewari comprising of the Tehsils of Bawal, Rewari and Kosli;
 - x. The whole of district of Bhiwani comprising the Tehsils of Bhiwani, Charkhi Dadri, Siwani, Loharu, Bawani Khara, Tosham and Badhra;
 - xi. The whole of district of Mahendragarh comprising the Tehsils of Mahendragarh and Narnaul.
2. The existing entries at S.No.4 of the said Schedule, in respect of the State of Rajasthan is substituted with the following:
 - i. The whole of the Alwar District comprising of Tehsils of Behror, Mandawar, Kishangarh, Tijara, Alwar, Ramagarh, Bansur, Thanagazi, Rajgarh, Laxmangarh and Kathumar (notified by the Gazette Notification of Ministry of Urban Development No.K-11019/4/2004-DDVI dated 23rd August, 2004).
 - ii. The whole of district of Bharatpur comprising the Tehsils of Bharatpur, Kumher, Nadbai, Deeg, Nagar, Kaman, Pahari, Bayana, Weir, Bhusawar and Roopwas.

[No. K-11019/9/2013-DD VI]

P.T. JAMESKUTTY, Under Secy. (DD-VI)